कृषि विभाग के तत्कालीन प्रभारी उप संचालक के विरुद्ध शासन से एफआईआर का आदेश

नवभारत न्यूज

भिंड 1 मार्च। किसान कल्याण तथा कृषि विकास (कृषि विभाग) के तत्कालीन प्रभारी उप संचालक के विरुद्ध किसान कलयाण तथा कृषि विकास संचालनालय द्वारा वित्तीय गड़बड़ी को लेकर एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) कराने के निर्देश विभाग में पदस्थ उप संचालक को दिए गए हैं। बता दें नव भारत समाचार पत्र द्वारा उक्त मुद्दे को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था। इस समाचार को 9 जनवरी 2026 के अंक में एरियर गड़बड़ी का मामला ठंडे बस्ते में, कार्रवाई अधर में शीर्षक से प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था।

बता दें तत्कालीन सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी को रामसुजान शर्मा को प्रभारी उप संचालक की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इनके कार्यकाल में हुई वित्तीय गड़बड़ी को लेकर 26 फरवरी 2026 को किसान कल्याण तथा कृषि विकास

रामसुजान शर्मा

संचालक उमाशंकर भार्गव द्वारा एफआईआर कराने का आदेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि 1 अक्टूबर 2021 से 2022-2023 तक की अवधि में सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, के डीडीओ क्रमांक 0401402014 में वित्तीय वर्ष 2018- 19 से 2022-23 तक संदिग्ध/ धोखाधड़ी भुगतान के संबंध में अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में कदाचरण

एरियर गड़बड़ी का मामला ठंडे बस्ते में, कार्रवाई अधर में

नवभारत न्यूज

भिण्ड, 8 जनवरी। जिले के कृषि विभाग में वर्ष 2018 से 2022 के बीच कार्यरत एवं सेवानिवृत कर्मचारियों के एरियर भुगतान में गंभीर अनियमितताओं का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। विभागीय जांच में यह सामने आया था कि कर्मचारियों का एरियर गलत तरीके से निकाला गया, जिससे शासन को आर्थिक नुकसान हुआ। जांच के दौरान जिला कृषि अधिकारी सहित कुल 7 अधिकारी-कर्मचारी दोषी पाए गए थे। हालांकि, मामले में वर्ष 2024 में खानापूर्ति के तौर पर केवल एक कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन इसके बाद अब तक कोई ठोस विभागीय या कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। इससे पूरे प्रकरण पर सवाल खड़े हो रहे हैं और विभाग की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में आ गई है। सूत्रों के अनुसार, इस गंभीर मामले को लेकर किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल से संयुक्त संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास, चंबल संभाग मुरैना को पत्र भेजा गया है। पत्र में स्पष्ट रूप से यह जानकारी मांगी गई है कि गबन सिद्ध होने के बाद दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गई है? पत्र भेजे जाने के बावजूद अब तक कोई स्पष्ट जवाब सामने नहीं आया है, जिससे यह आशंका गहराती जा रही है कि मामले को जानबूझकर दबाया जा रहा है।

इनका कहना है...

अार इस शाखपत्र, संयुक्त संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास संचल संभाग मुरैना से कार्यवाही के संबंध में जानकारी चाही गई तो उन्होंने बताया मुझे ऐसा कोई पत्र अभी नहीं मिला मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

खबर का असर

10 लाख 42 हजार 783 रुपए की वित्तीय हानि पहुंचाने का है आरोप

एवं राशि 10 लाख 42 हजार 783 की वित्तीय हानि पहुंचाई गई है। अत: शर्मा के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराकर उसकी प्रति संचालनालय को उपलब्ध कराई जाए। बता दें वर्तमन में शर्मा रीवा में पदस्थ हैं इसलिए रीवा संभाग के संयुक्त संचालक एवं कुठलिया स्थित कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केंद्र के प्राचार्य को सहित अन्य संबंधितों को आदेश की प्रति भेजी गई है।

विभागीय जांच का हुआ आदेश : तत्कालीन प्रभारी उप संचालक रामसुजान शर्मा का कहना है कि वित्तीय गड़बड़ी को लेकर मेरे द्वारा ही पूर्व में पदस्थ विभाग के सहायक संचालक एवं पदेन सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध एफआईआर कराई गई थी। जबकि मेरे विरुद्ध विभागीय जांच का आदेश हुआ था जिसका जवाब भी दिया गया था लेकिन बिना किसी विभागीय जांच के सीधे आदेश कैसे हो सकता है। अगर ऐसा आदेश करना ही था तो पूर्व में ही क्यों नहीं किया गया। इस प्रकार की कार्रवाई संदेह उत्पन्न करता है कि संचालक स्तर से बिना किसी आधार के इस तरह का आदेश कैसे जारी हो सकता है।

उप संचालक बोले- कुछ नहीं कह सकता : किसान कल्याण तथा कृषि विकास उप संचालक अनंतबिहारी सरैया से जब नवभारत द्वारा मोबाइल पर बात करना चाही तो उनका कहना था कि आप क्या पूछना चाहते हैं मुझे पता है लेकिन मैं इस संदर्भ कुछ नहीं कह पाऊंगा। जिले के किसानों से जुड़े प्रमुख अधिकारी द्वारा जब इस प्रकार की बात की जाए तो सवालिया निशान लगता है कि शासन के एफआईआर के आदेश का पालन होगा भी या नहीं।

आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय में कटौती का मामला विधानसभा में गूंजा

नवभारत न्यूज

भिंड/मालनपुर 1 मार्च। शासकीय अस्पताल गोहद में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को शासन द्वारा निर्धारित मानदेय से कम भुगतान किए जाने का गंभीर मामला अब विधानसभा में गूंजा। गोहद विधायक केशव देसाई ने सदन में प्रश्न लगाकर आउटसोर्स कंपनियों द्वारा कर्मचारियों के कथित आर्थिक शोषण और वित्तीय अनियमितताओं का मुद्दा प्रमुखता से उठाया।

विधायक ने बताया कि शासकीय अस्पताल गोहद में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटरों को शासन द्वारा निर्धारित 9 हजार669 रुपए इनहैंड मानदेय के स्थान पर बैंक रिकॉर्ड के अनुसार मात्र 7 हजार 502 रुपये का भुगतान किया गया। इसी प्रकार सिक्योरिटी गार्ड एवं स्वीपर कर्मचारियों को भी निर्धारित 10 हजार 569 रुपये इनहैंड मानदेय से कम राशि दी जा रही थी। विधायक ने इसे श्रम कानूनों का उल्लंघन बताते हुए कर्मचारियों के खुले आर्थिक शोषण का मामला

कंपनियां तीन साल के लिए ब्लैकलिस्ट

करार दिया। मामले को लेकर विधायक ने पूर्व में प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, तथा भिंड कलेक्टर कार्यालय को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई थी। पत्र में उन्होंने आउटसोर्स कंपनी लक्ष्य सिक्योरिटी एंड मैन पावर सर्विसेज एवं सेंगर सिक्योरिटी एंड लेबर सर्विसेज पर आरोप लगाते हुए कहा गया था कि कर्मचारियों के वेतन में की जा रही कटौती से न केवल उनका शोषण हो रहा है बल्कि इसमें गंभीर वित्तीय अनियमितताओं की भी आशंका है।

विधानसभा में लगाए गए प्रश्न के उत्तर में सरकार की ओर से बताया गया कि शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच कराई गई। जांच में आरोप सही पाए जाने पर संबंधित आउटसोर्स कंपनियों का अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है तथा दोनों कंपनियों को तीन वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। विधायक ने सरकार की कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि गरीब और मेहनतकश कर्मचारियों के अधिकारों से कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मांग की कि भविष्य में आउटसोर्स व्यवस्था की सतत निगरानी की जाए ताकि कर्मचारियों को उनका पूरा और निर्धारित मानदेय समय पर मिल सके।

इस पूरे घटनाक्रम के बाद गोहद अस्पताल में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों में राहत का माहौल है वहीं प्रशासनिक स्तर पर भी आउटसोर्स एजेंसियों पर निगरानी और सख्ती बढ़ाए जाने के संकेत मिल रहे हैं।

आर्थिक अभाव में बीमारी से न हो किसी की भी मौत, ऐसा प्रयास कर रही सरकार : नरेंद्र सिंह

सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए बालिकाओं के टीकाकरण अभियान का शुभारंभ

नवभारत न्यूज

भिंड 1 मार्च। जिले में 14 वर्ष से 15 वर्ष तक की बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एचपीव्ही (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) टीकाकरण अभियान का शुभारंभ हुआ। टीकाकरण अभियान का शुभारंभ स्थानीय विधायक नरेन्द्र सिंह कुशवाह एवं कलेक्टर किरोड़ीलाल मीणा की उपस्थिति में गरिमामय कार्यक्रम में किया गया। यह टीका महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम का प्रभावी एवं सुरक्षित माध्यम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज राजस्थान के अजमेर से राष्ट्रव्यापी एचपीव्ही टीकाकरण अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जिला चिकित्सालय परिसर में देखा एवं सुना गया।

विधायक ने कार्यक्रम को संबोधित कर कहा कि कैंसर एक गंभीर बीमारी है जिससे व्यक्ति के साथ- साथ परिवार भी प्रभावित होता है। देश के प्रधानमंत्री मोदी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं कि पैसे के अभाव में बीमारी के कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु न हो। इसलिए

टीका सर्वाइकल कैंसर से बचाव में प्रभावी : यादव

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ . जेएस यादव ने कार्यक्रम के दौरान टीकाकरण करवा रहीं बालिकाओं को एचपीव्ही टीके के महत्व एवं इसके लाभों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह टीका सर्वाइकल कैंसर से बचाव में अत्यंत प्रभावी है और बालिकाओं के उज्ज्वल स्वास्थ्य भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सरकार ने आयुष्मान कार्ड बनवायाए जिससे 5 लाख तक का नि:शुल्क इलाज किया जाता है। जननी सुरक्षा योजनाए जननी एक्सप्रेस योजना जैसी अनेक योजनाओं की शुरुआत की है। आज सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के अजमेर से 14 वर्ष की बालिकाओं के टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बालिकाओं के स्वास्थ्य की चिंता कर नि:शुल्क टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। इस टीकाकरण से सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को रोका जा सकता है। विधायक श्री कुशवाह ने कहा कि सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि हमारी बहन- बेटियों की सुरक्षा कैसे की जाए।

बालिकाओं के स्वास्थ्य और भविष्य से जुड़ा प्रयास : कलेक्टर

कलेक्टर ने कहा कि ये एक ऐसी पहल है जिसके बारे में हम सभी को पता होना चाहिए। अभियान के तौर पर तीन महीने तक टीकाकरण कराया जाएगा। सभी से अपील है कि इसमें अधिक से अधिक संख्या में भाग लें। उन्होंने कहा कि यह एचपीव्ही का टीका की बाजार में कीमत चार हजार से लेकर दस हजार रूपये तक है। लेकिन सरकार चाहती है कि इस सर्वाइकल कैंसर से लड़ने के लिए हम अधिक से अधिक प्रयास करें। यह एक मात्र ऐसा कैंसर है जिसे हम टीकाकरण के माध्यम से रोक सकते हैं। यह टीका नि:शुल्क दिया जा रहा है और अभी प्रारंभिक तौर पर 14 वर्ष से 15 वर्ष तक की बालिकाओं को ही टीकाकरण किया जा रहा है। काफी टेस्टिंग के बाद ही यह टीका सार्वजनिक कार्यक्रम में उपयोग में लाया जा रहा हैए इसके कोई साईड इफेक्ट नहीं है और यह एक सामान्य टीके की तरह है। उन्होंने कहा कि यह अभियान बालिकाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रयास हैए अत: सभी लोग पूर्ण सक्रियता एवं जिम्मेदारी के साथ अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें और अपने आस.पड़ोसए परिवार में 14 वर्ष से 15 वर्ष तक की बालिकाओं को टीका लगवाने के लिए प्रेरित करें।

दलित उत्पीड़न को लेकर जनसभा में नेताओं ने दी आंदोलन की चेतावनी

नवभारत न्यूज

भिंड 1 मार्च। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने दलित उत्पीड़न को लेकर मौ में जनसभा की। जिसमें नेताओं द्वारा आंदोलन की चेतावनी दी गई। नेताओं ने कहा कि गांव- गांव पर्चे वितरित किए गए हैं तथा सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर चस्पा कर आमजन को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में मौ थाना के घेराव की चेतावनी देते हुए एक मार्च को धरना प्रदर्शन की घोषणा की गई थी।

सभा को संबोधित करते हुए माकपा राज्य सचिव मंडल सदस्य रामविलास गोस्वामी ने कहा कि गोहद अनुभाग में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। इसका सीधा खामियाजा गरीब दलित और कमजोर तबके को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस यदि निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई करे तो अपराध अपने आप नियंत्रित हो सकते हैं। जनवादी महिला समिति की प्रदेश महासचिव प्रीति सिंह ने कहा कि दलितों और महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार चिंता का विषय हैं। पुलिस की उदासीनता से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त

नहीं किया जाएगा।

सभा को पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष प्रेम नारायण माहौर, भूपेंद्र सिंह गुर्जर, राजेंद्र सिंह कुशवाह, बीरेंद्र कुशवाह, महिला समिति की शोभा माहौर तथा माकपा जिला सचिव ओमप्रकाश बाथम ने भी संबोधित किया। वक्ताओं ने एक स्वर में चेतावनी दी कि माकपा जनआंदोलन को और तेज करेगी। सभा में राजेश शर्मा, गुड्डी रामदास, बैताल, विनोद शाक्य, सतीश शाक्य, बलराम, प्रीतम माहौर, राकेश प्रजापति, जगदीश माहौर, मनीराम शाक्य सहित भारी संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति रही।

डंपर की टक्कर से बुजुर्ग महिला की मौत

भिंड। गोहद चौराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत महर्षि अरविंद महाविद्यालय के पास रविवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। लापरवाही पूर्वक चलाए जा रहे डंपर की चपेट में आई महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना सुबह लगभग 9 बजे की है। 80 वर्षीय देवका बाई पत्नी कलियान जाटव निवासी कीरतपुरा डंपर की चपेट में आई गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि देवका बाई की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही गोहद चौराहा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर मर्ग कायम किया। पुलिस ने रविवार को ही लगभग 11 बजे पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। हादसे के बाद क्षेत्र में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा। स्थानीय लोगों ने भारी वाहनों की तेज रफ्तार और लापरवाह संचालन पर नाराजगी जताते हुए पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है तथा डंपर चालक की तलाश की जा रही है।

बुजुर्ग महिला के साथ पुलिस के दुर्व्यवहार में हाथ टूटा

नवभारत न्यूज

भिंड 1 मार्च। भिंड जिला अस्पताल में भर्ती 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ पुलिस द्वारा कथित दुर्व्यवहार का मामला सामने आने के बाद कांग्रेस नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जिला कांग्रेस

कांग्रेस ने पुलिस को लिया आड़े हाथ

अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह भदौरिया ने घटना की निंदा करते हुए इसे अमानवीय और शर्मनाक बताया।

कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि मछंड़ चौकी प्रभारी रविंद्र सिंह तोमर ने पीड़ित महिला के घर में घुसकर मारपीट और गाली- गलौज किया तथा प्राइवेट इस्तगासा वापस लेने के लिए दबाव बनाया। भदौरिया ने चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के व्यवहार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी और संबंधित अधिकारी को तत्काल निलंबित कर निष्पक्ष जांच कराई जाए। वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉ. राधेश्याम शर्मा ने कहा कि इस मामले में पुलिस के अधिकारियों की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है।

कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल में श्याम सुंदर सिंह जादौन, देवेंद्र सिंह भदौरिया, मुकेश गर्ग, महेश जाटव, रूपेंद्र सिंह रूपी, रामस्वरूप गोयल, राहुल सिंह कुशवाह, कोक सिंह, रविंद्र तोमर, बॉबी, छोटे सिंह और कुलदीप सिंह राजावत सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल रहे। इसस संबंध में मछंड चौकी प्रभारी रविंद्र सिंह तोमर से पक्ष जानने का प्रयास किया गया तो उन्होंने सभी आरोपों को निराधार और झूठा बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस दो दिन पूर्व घटित एक मामले में आरोपियों की तलाश में गई थी। वहां ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई।

BAJAJ FINANCE

सोने के गहनों की नीलामी के लिए समाचार पत्र में सार्वजनिक सूचना

बजाज फाईनान्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः मुंबई - पुणे रोड, अकुर्दी, पुणे - 411035

BFL सभी ऋणियों और सर्वसाधारण को सूचित करता है कि गोल्ड लोन लेते समय ऋणी ने बतौर सेक्युरिटी अपने लोन खाते में सोने के गहने गिरवी रखे और बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद जो ऋणी लोन की राशि चुकाने या आवश्यक मार्जिन देने में विफल रहे उनके गहने 'जहां है जैसा है और जो है जैसा है' आधार पर नीलाम किए जाएंगे। निविदा करने वालों से अनुरोध है कि नीचे दी गई शर्तों का पालन करें:

(क) क्यूआर कोड स्कैन कर सार्वजनिक सूचना (लोन, गहनों का सकल वजन, स्थान और नीलामी की तिथि) की सम्पूर्ण जानकारी देखें।

(ख) सार्वजनिक नीलामी से संबंधित निविदा के सभी नियम और शर्तें ("टी एण्ड सी") वेबलिंक http://172.30.1.235:3000/?WOUB2QG9WU के माध्यम से पढ़ें;

(ग) नियम और शर्तें समझ लें और उसके बाद ही नीलामी की तिथि या उससे पहले बतौर अग्रिम जमा राशि रु.25,000 फंड ट्रांसफर (एनईएफटी/आरटीजीएस/बजाज गोल्ड ऑक्शन ऐप) कर दें;

(घ) नीलामी के स्थान पर सुबह 10 बजे तक व्यक्तिगत उपस्थिति दर्ज करें; तथा

(ङ) नीलामी के स्थान पर अपना पहचान और पते का वैध प्रमाण लेकर आएं।

(च) नीलामी की दिन में दोपहर 12 बजे के बाद नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(छ) शाखा प्रबंधक/नीलामीकर्ता को बोली लगाने वालों की भागीदारी स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है, यदि वे निर्धारित समय सीमा में भाग नहीं लेते हैं, चाहे वे अग्रिम राशि जमा राशि (ईएमडी) का भुगतान कर चुके हो।

TQRCG
स्कैन करें

नीलामी के स्थान और तिथि में परिवर्तन, यदि कोई हो, तो उसकी सूचना नीलामी केंद्र पर प्रदर्शित की जाएगी। आपका निविदा करना उपरोक्त शर्तों पर सहमत होना माना जाएगा। यदि सार्वजनिक नीलामी से बिक्री निलंबित/निरस्त होती है तो बीएफएल ऋणी(ऋणियों) के कहने पर निजी तौर पर गहनों की बिक्री करने का अधिकार भी सुरक्षित रखती है। अतिरिक्त जानकारी के लिए हमसे इस ईमेल आईडी पर संपर्क करे - gold.auction@bajajfinserv.in

(10-04-26) **बेतूल - शर्मा कॉम्प्लेक्स;** PCA4G0L16348007, 16472834, 16624563. **भिंड - ग्वालियर रोड;** POZ5G0L16642314, 16721390, 16747946. **भोपाल - इमामी गेट;** PF46G0L16159788, 16374095, 16641416. **भोपाल - करोंद;** PJD2G0L16231021. (13-04-26) **भोपाल - मध्य प्रदेश नगर;** PCA5G0L9173459, L9872010, 10213247, 16742449. **ब्यावरा - ओल्ड ए. बी. रोड;** PMN3G0L16597980, 16748545. **बीना - इटावा स्टेशन रोड;** PCA6G0L16399894. **छिंदवाड़ा - परासिया रोड;** PEQ1G0L16187716, 16279657. **डाबरा - मेन रोड;** PKH4G0L16622335. (14-04-26) **दतिया - सीता सागर;** PMN5G0L16572134, 16651910. **देवास - एबी रोड;** PGG2G0L16285992, 16474098. **गाडरवारा - इंद्रा वार्ड;** PKA3G0L16658262. **गंज बासौदा - मेन रोड;** P02WG0L16170404, 16214189, 16428668, 16595292, 16658778. (15-04-26): **गुना - एबी रोड;** PEH2G0L16544743. **ग्वालियर - सिटी सेंटर;** PCA7G0L11515324, 14941253, 14996407, 16162310, 16211901, 16382914, 16442880, 16521576, 16520223, 16600172, 16648573, 16666212, 16698523, 16750629, 16738672. **ग्वालियर - गोले का मंदिर;** PJD1G0L16170697, 16451185. **ग्वालियर - मुरार;** PHF9G0L14057272, 15334131, 16594571, 16670610. (16-04-26) **ग्वालियर - नया बाज़ार;** PF25G0L15062449, 15350785, 16345134, 16572282, 16655420. **ग्वालियर - विनय नगर;** PEF2G0L15018424, 15048257, 16265234, 16704128. **हरदा - बाफना टॉवर;** PCA8G0L16426689. **होशंगाबाद - मीनाक्षी चौक;** PCA9G0L13924803. **इंदौर - अन्नपूर्णा रोड;** PER2G0L16320674. (17-04-26) **इंदौर - विजय नगर;** PGJ9G0L15517632, 16369580, 16538582, 16598664, 16670921. **इटारसी - सराफा बाज़ार;** P03WG0L16163558, 16204303, 16557788, 16621538, 16653826. **जबलपुर - राइट टाउन;** PG03G0L16244478, 16284173, 16305567, 16347343, 16698422. **मंदसौर - नयापुरा रोड;** PMI9G0L15273648. (18-04-26) **मुरैना - शिवनगर;** PJC8G0L12352529, 12507622, 13095974, 14095569, 14181167, 16597949. **रीवा - बीजीएल;** P4A7G0L15147523, 15252762, 16749057. **सबलगढ़;** P13PG0L5591433, L5744781. **सागर - भगवानगंज;** POZ1G0L16682001. (20-04-26) **सागर - परकोटा;** PLL1G0L14297626, 16721028. **शहडोल - बीजीएल;** PNT3G0L16323241, 16646763. **श्योपुर - शिवपुरी रोड;** PLC3G0L15251954, 16392619, 16450121. **शिवपुरी - एबी रोड;** PEH3G0L14246320, 16307536, 16455995, 16526073. **उज्जैन - फ्रीगंज;** PCP4G0L16698821.

बजाज फाईनान्स लिमिटेड

कार्यालय मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग इंदौर, परिक्षेत्र इंदौर गायत्री मंदिर के पास, ओल्ड पलासिया, इंदौर (म.प्र.)

ई-मेल: cepwdwest@mp.nic.in दूरभाष: 0731-2491825

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक 17/सा./40/निविदा/2025-26 इंदौर, दिनांक 24/02/2026

निविदा आमंत्रण सूचना

निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाईन निविदा तीन लिफाफा पद्धति में आमंत्रित की जाती है, उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाईट http://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है:-

क्र.	पोर्टल क्रमांक	जिला	कार्य का नाम	अनुमानित राशि रू. लाख में	अमानत राशि रू. में	निविदा प्रपत्र की राशि रू. में	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि
1.	2026_PWD RB_484930	इंदौर	काकरिया बोरडिया से जमूड़ी सरवर जिंदाखेड़ा पलकाकरिया मार्ग लम्बाई 09.00 कि.मी. का निर्माण कार्य मय विद्युतीकरण कार्य सहित। (तृतीय आमंत्रण)	1099.14	1000000/-	30000/-	12 माह वर्षाकाल सहित।
2.	2026_PWD RB_484931	इंदौर	टाटा शोरूम के सामने ए.बी. रोड़ लसूडिया इंदौर (पुराना ए.बी. रोड़) निरंजनपुर चौराहा से मांगलिया तक सेंटर डिवाइडर निर्माण मय सेंटर लाइटिंग मार्ग लम्बाई 07.00 कि.मी. का निर्माण कार्य। (तृतीय आमंत्रण)	639.98	639980/-	20000/-	06 माह वर्षाकाल सहित।
3.	2026_PWD RB_484932	इंदौर	हायरिंग ऑफ एजेंसी फार मेकेनाइज्ड हाऊसकीपिंग एण्ड मेंटनेंस इंजीनियरिंग सर्विसेज एण्ड किचन सर्विसेज फार रेसीडेंसी कोठी, सर्किट हाऊस ओल्ड रेस्टहाऊस न्यू रेस्टहाऊस इंदौर।	लम्प-सम	843200/-	20000/-	05 वर्ष वर्षाकाल सहित।
		महायोग-		1739.12 लाख			

निविदा प्रपत्र उपरोक्त दर्शित वेबसाईट से निविदा का निर्धारित मूल्य ऑनलाईन भुगतान कर, क्रय किए जा सकते है। निविदा प्रपत्र क्रय करने एवं ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक 16.03.2026 समय 17:30 तक निर्धारित है। निविदा की विस्तृत शर्तें एवं नियम उपरोक्त दर्शित पोर्टल पर देखी जा सकती है।, निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन, यदि हो तो उसे समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जाकर केवल वेबसाईट पर ही प्रदर्शित किया जाएगा।, सभी दस्तावेज केवल ऑनलाईन वेबसाईट पर ही प्रस्तुत करें। भौतिक रूप से कोई भी दस्तावेज इस कार्यालय में न भेजें जाएं।

G-26672/25

मुख्य अभियंता
लो.नि.वि. इंदौर, परिक्षेत्र इंदौर